



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 748]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2007/आषाढ़ 1, 1929

No. 748]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2007/ASADHA 1, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2007

का.आ. 1008 (अ).—केन्द्रीय सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का 53) के अनुपालन में बाघ संरक्षण फाऊण्डेशन के विनियमन के उद्देश्य से निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाती है नामतः:

1- लघु शीर्ष और प्रारम्भ

- (1) इन दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाऊण्डेशन) दिशानिर्देश 2007 कहा जाएगा।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं :- इन दिशानिर्देशों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,:

- (क) अधिनियम का अभिप्राय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53)।
- (ख) 'कार्यकारी समिति' का अभिप्राय इसके ट्रस्ट के विलेख द्वारा गठित फाऊण्डेशन की कार्यकारी समिति।
- (ग) 'फाऊण्डेशन' का अभिप्राय अधिनियम की धारा 38 एक्स के अंतर्गत स्थापित बाघ संरक्षण फाऊण्डेशन।
- (घ) 'शासी निकाय' का अभिप्राय इसके ट्रस्ट के विलेख द्वारा गठित फाऊण्डेशन का शासी निकाय।
- (ङ.) 'कार्यान्वयन एजेंसी' का अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 38 वी के अंतर्गत अधिसूचित बाघ रिजर्व अथवा बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अधिसूचित रिजर्व।
- (च) प्रचालन नियमावली का अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित फाऊण्डेशनकी प्रशासनिक संहिता।
- (छ) 'फाऊण्डेशन के नियम' का अभिप्राय ट्रस्ट के अनुमोदित विलेख और फाऊण्डेशन की प्रचालन नियमावली।

- (ज) 'स्टाफ' का अभिप्राय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा नियुक्त फाऊंडेशन का कोई कर्मचारी और उसमें सलाहकार, ठेके पर लगे व्यवसायिक प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ और दैनिक मजदूरी, कामगार आदि शामिल होंगे।
- (झ) 'राज्य सरकार' को अभिप्राय बाघ रिजर्व की राज्य सरकार
- (ञ) 'बाघ संरक्षण प्राधिकरण' का अभिप्राय अधिनियम की धारा 38 एल के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
- (ट) बाघ रिजर्व का अभिप्राय बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही अधिसूचित सहित धारा 38वीं के अंतर्गत यथाअधिसूचित क्षेत्र
- (ठ) 'बाघ रिजर्व राज्य' का अभिप्राय वह राज्य जिसमें बाघ रिजर्व है।

### 3. बाघ रिजर्व फाऊंडेशन का गठन

- (1) राज्य सरकार प्रत्येक बाघ रिजर्व में लोगों को शामिल करते हुए परिपर्यटन और पारि-विकास कार्यक्रमों के अलावा बाघ और जैवविविधता के संरक्षण के लिए इसके प्रबंध को सरल और सहायक बनाने के लिए बाघ संरक्षण फाऊंडेशन स्थापित करेगी।
- (2) फाऊंडेशन, सरकार के संबंधित नियमों के अंतर्गत एक पंजीकृत ट्रस्ट होगा।
- (3) फाऊंडेशन का मुख्यालय बाघ रिजर्व के समीप प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक स्थान पर स्थित होगा।
- (4) फाऊंडेशन का प्रचालन क्षेत्र बाघ रिजर्व और इसके आसपास का परिदृश्य, जो बाघ रिजर्व से वन्यजीवों के इधर उधर जाने के लिए सम्भावित मार्ग के साथ प्रभावी जोन बनाएगा।

### 4. ट्रस्ट के लक्ष्य और उद्देश्य

- (1) फाऊंडेशन का उद्देश्य अनुमोदित प्रबंध योजनाओं के अनुसार विविध स्टेकहोल्डरों की भागीदारी के माध्यम से बाघ और जैवविविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंध को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना तथा राष्ट्रीय और राज्य कानून के अनुरूप आसपास के भू परिदृश्यों में समान प्रयासों में सहायता करना।
- (2) उक्त उद्देश्यों की सहायता के लिए फाऊंडेशन के कार्य को कार्यान्वयन एजेंसी और इसके स्टाफ और अथवा प्रायोजित अथवा इसके द्वारा समर्थित अथवा अन्य संस्थानों, एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अथवा व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।
- (3) उपर्युक्त उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फाऊंडेशन के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे नामतः :-

(क) बाघ रिजर्व और आसपास के भूदृश्यों में पारिस्थितिकीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को सुविधाजनक बनाना

(ख) बाघ रिजर्व और संबंधित स्थानों में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करना

(ग) उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली परिसम्पतियों के सृजन और अथवा प्रबंध को सरल बनाना

(घ) उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों को कानून द्वारा अनुभव विभिन्न स्रोतों से पूरा करने के लिए फाऊंडेशन के कार्यों के लिए अपेक्षित तकनीकी, वित्तीय, सामाजिक और अन्य सहायता का अनुरोध करना।

(ड.) कार्यान्वयन एजेंसी की सहायता के लिए उपर्युक्त और संबंधित क्षेत्रों में पारिपर्यटन, पारिविकास, अनुसंधान पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रबंध और परामर्शी पहलुओं को बढ़ावा देना।

(च) उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों की सहायता के लिए कुछ भी आकस्मिक अथवा आनुषंगिक।

### 5. फाऊंडेशन का शासी निकाय

- (1) बाघ संरक्षण फाऊंडेशन को समग्र नीतिगत मार्गदर्शन और निर्देश देने के लिए बाघ रिजर्व राज्य का एक शासी निकाय होगा।
- (2) बाघ संरक्षण फाऊंडेशन के शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे नामत :-
- |        |   |    |            |
|--------|---|----|------------|
| (i)    | राज्य सरकार में वन्यजीव प्रभारी मंत्री  | -  | अध्यक्ष    |
| (ii)   | सरकार के वन विभाग में प्रधान सचिव अथवा सचिव<br>जैसा भी मामला हो   | -  | उपाध्यक्ष  |
| (iii)  | प्रधान मुख्य वन संरक्षक   | -  | सदस्य      |
| (iv)   | फील्ड निदेशक, बाघ रिजर्व  | -  | सदस्य      |
| (v)    | उपनिदेशक, बाघ रिजर्व  | -  | सदस्य      |
| (vi)   | संबंधित क्षेत्र के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अथवा फील्ड अर्हता<br>प्राप्त विशेषज्ञ (सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे) | -  | सदस्य      |
| (vii)  | विधान सभा के सदस्य जो राज्य विधान सभा में<br>संबंधित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हो                            | -  | सदस्य      |
| (viii) | जिनके पास बाघ रिजर्व क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार प्राप्त जिला<br>पंचायत के प्रतिनिधि                                 | -  | सदस्य      |
| (ix)   | फाऊंडेशन की कार्यकारी समिति के दो सदस्य (फील्ड<br>निदेशको/ उपनिदेशकों के अलावा)                                   | -- | सदस्य      |
| (x)    | मुख्य वन्यजीव वार्डन  | -  | सदस्य-सचिव |

(3) शासी निकाय का कोई भी सदस्य विधान सभा, अथवा जैसा भी मामलों हो का सदस्य नहीं होगा तथा जिला पंचायत का सदस्य शासी निकाय का सदस्य नहीं होगा।

(4) नामित सदस्य का कार्यकाल उसके नामांकन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा।

(5) शासी निकाय की निम्नलिखित शक्तियां होगी और निम्नलिखित कार्य करेगा, नामत :-

- (क) अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में फाऊंडेशन की नीति बनाना
- (ख) फाऊंडेशन के तुलनापत्र और लेखापरीक्षित लेखों पर विचार करना और अनुमोदित करना
- (ग) फाऊंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और अनुमोदित करना
- (घ) फाऊंडेशन की कार्य योजना, निधि प्रवाह वार्षिक बजट को अनुमोदित करना
- (ङ) सरकार के अनुमोदन की शर्त पर ट्रस्ट के विलेख में, आवश्यक समझे गए, संशोधन करना
- (च) फाऊंडेशन की प्रचालन नियमावली को अनुमोदित करना
- (छ) फाऊंडेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों और अन्य संस्थानों तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना
- (ज) फाऊंडेशन के मामलों को व्यवस्थित करने के लिए ट्रस्ट के विलेख के उपबंधों के अंतर्गत नियम और विनियम तैयार करना
- (झ) फाऊंडेशन के कोष को बढ़ाने, निवेश और बजट के संबंध में सभी नीतिगत निर्णय लेना

(अ) फाऊंडेशन की किसी परियोजना अथवा कार्य का निलम्बन, बंद करना अथवा उस पर किसी अन्य प्रक्रिया का प्रभाव

(ट) ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य कार्यों को करना

(6) शासी निकाय की बैठके निम्नलिखित तरीके से आयोजित की जाएगी नामत :-

(i) शासी निकाय की बैठके वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य की जाएगी मुख्यतः वित्त वर्ष के पहले महीने में

(ii) शासी निकाय की प्रत्येक बैठक शासी निकाय के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से पंद्रह दिन के पूर्व नोटिस से लिखित रूप में बुलाई जाएगी जिसमें उस बैठक के चर्चा के विषयों का सार होगा।

(iii) नोटिस देने में असावधानी के कारण हुई चूक और किसी सदस्य द्वारा नोटिस का प्राप्त न होने की अवस्था में बैठक की कार्रवाई अमान्य नहीं होगी।

(iv) यदि शासी निकाय की बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तब उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(v) शासी निकाय के उपस्थित एक तिहाई सदस्य शासी निकाय का फोरम बनायेंगे बशर्ते कोई कोरम किसी बैठक को स्थगित करने के लिए कोई कार्यवाहक संख्या आवश्यक नहीं होगी

(vi) बैठक में सभी विवादों के संबंध में मत विभाजन द्वारा निर्णय किया जाएगा।

(vii) यदि कोई सदस्य शासी निकाय की बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं तो वह कार्यसूची पर अपने विचार लिखित में भेज सकता है। और ऐसे विचार संबंधित मामले में उनका वोट माने जाएंगे और

(viii) बैठक की कार्रवाईयों के कार्यवृत्त को रिकार्ड किया जाएगा और ऐसा कार्यवृत्त सदस्य सचिव, शासी निकाय से अनुमोदित और हस्ताक्षर होने के बाद बैठक में संपादित कार्यक्रम का निश्चयात्मक प्रमाण होंगे।

6. कार्यकारी समिति

(1) प्रत्येक बाघ संरक्षण फाऊंडेशन में इसके दैनिक प्रबंध को देखने के लिए कार्यकारी समिति होगी।

(2) फाऊंडेशन के कार्यों को कार्यकारी समिति द्वारा फाऊंडेशन के नियमों की शर्त पर प्रशासित किए जाएंगे।

(3) कार्यकारी समिति में शामिल होंगे

क) बाघ रिजर्व के फील्ड निदेशक	अध्यक्ष
ख) बाघ रिजर्व के उप-निदेशक अथवा सहायक निदेशक	सदस्य
ग) बाघ रिजर्व में कार्यरत पारि विकास समितियों के दो प्रतिनिधियों का शासी निकाय में नामित किया जाना	सदस्य
घ) बाघ रिजर्व के फं टलाइन स्टाफ के दो सदस्य	सदस्य

(बाघ रिजर्व के उप-निदेशक अथवा सहायक निदेशक अथवा सहायक निदेशक, जैसा भी मामला हो, कार्यकारी समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे)

- (4) नामांकित सदस्य का कार्यकाल उसके नामांकन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- (5) नामांकित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारी समिति का सदस्य उस स्थिति में सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस कार्यालय अथवा पद पर बना नहीं रहता जिसके लिए वह समिति का सदस्य बना था।
- (6) कार्यकारी समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी और निम्नलिखित कार्य करेगी नामतः :
  - (क) फाऊंडेशन के नियम और विनियमों के अनुसार फाऊंडेशन के कार्य और निधि
  - (ख) फाऊंडेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा इसके सभी कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रयास करना।
  - (ग) फाऊंडेशन के नियमों तथा विनियमों के अनुसार विषय विशेष के किसी व्यक्ति को लगाने तथा उसकी नियुक्ति करने की शक्ति सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना।
  - (घ) फाऊंडेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसके नियमों तथा विनियमों के अनुसार सार्वजनिक अथवा निजी संगठनों या व्यक्तियों के साथ समझौता करना।
  - (ङ.) फाऊंडेशन के नियमों तथा विनियमों और सरकार के हितों से असंगत वृत्तिदान, सहायता अनुदान, दान अथवा उपहार
  - (च) फाऊंडेशन के नियमों तथा विनियमों के अनुसार राज्य या अन्यत्र कहीं और सरकार अथवा सार्वजनिक निकायों अथवा निजी संगठनों या व्यक्तियों से किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति की फाऊंडेशन के नाम पर खरीद उपहार या अन्यथा प्राप्त करना या अधिग्रहण करना, और
  - (छ) शासी निकाय द्वारा इसे सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करना।

#### 7. कार्यकारी समिति की कार्यवाही

- (1) कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष द्वारा संचालित की गई जाएगी। बशर्तें कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी समिति बैठक की अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष का चयन करेगी।
- (2) कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों में से आधे कोरम का गठन करेंगे बशर्तें किसी बैठक को स्थापित करने के संबंध में कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा।
- (3) उक्त समिति की प्रत्येक बैठक के लिए कार्यकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को सात दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए बशर्तें कि अध्यक्ष आपातकालीन बैठक न बुला ले यदि स्थिति की मांग हो
- (4) नोटिस देने के असावधानी में हुई भूल अथवा किसी सदस्य को किसी बैठक का नोटिस न प्राप्त होना बैठक की कार्यवाहियों को अमान्य नहीं करेगा।
- (5) कार्यकारी जब भी आवश्यक हो बैठक करेगी परंतु प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक जरूर करेगी।
- (6) कार्यकारी समिति बैठकों में सभी विवादास्पद मामले सदस्यों के बीच मत द्वारा तय किए जाएंगे।

- (7) कोई सदस्य जो कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो कार्यसूची पर अपने विचार लिखित में भेज सकता है और ऐसी विचार अभिव्यक्ति को संबंधित मामले पर उसके वोट के रूप में लिया जाएगा।
- (8) कार्यकारी समिति इसके द्वारा गठित उप समिति को किसी मामले में सलाह अथवा सिफारिश के लिए भेज सकती है तथा कार्यकारी को उप-समिति द्वारा की गई सिफारिश अथवा दी गई सलाह को रद्द करने का अधिकार होगा और ऐसा करने पर कारण भी रिकार्ड करेगी
- (9) कार्यकारी समिति की आम वार्षिक बैठक प्रतिवर्ष बुलाई जाएगी और इसमें पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे तथा चालू वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर विचार विमर्शित किया जाएगा और उसे अनुमोदित किया जाएगा।
- (10) कार्यकारी समिति की बैठक की कार्रवाई के कार्यकृत रिकार्ड किये जायेंगे और ऐसे कार्यवृत्त, सचिव के उचित अनुमोदन के बाद जारी किए जाएंगे।

#### 8. कार्यकारी समिति का कार्यालय और प्राधिकार

- (1) बाघ रिजर्व का फील्ड निदेशक फाऊंडेशन का कार्यकारी निदेशक होगा और वह कार्यकारी समितिकी ओर से फाऊंडेशन के सभी प्रशासनिक और दैनिक कार्यों को निष्पादित करेंगे/करेगी तथा वह फाऊंडेशन के सभी रिकार्डों परिसम्पतियों और अन्य सामग्री का संरक्षक होगा।
- (2) कार्यकारी निदेशक की फाऊंडेशन के नियमों के अनुसार निम्नलिखित शक्तियां होगी नामतः
  - (क) फाऊंडेशन की ओर से किसी व्यक्ति अथवा संस्थान से नकद अथवा किस्त में रूप में योगदान प्राप्त करना।
  - (ख) फाऊंडेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति को खरीदना, प्राप्त करना अथवा पट्टे पर लेना।
  - (ग) फाऊंडेशन के सामान्य प्रशासन पर नियंत्रण और अधिकार रखना।
  - (घ) बैंकों में खाते खुलवाना और उनका संचालन करना
  - (ङ.) फाऊंडेशन के लिए और उसकी ओर से सभी कानूनी कार्यों का अभियोजन मुकदमा चलाना, बचाव करना।
- (3) कार्यकारी निदेशक को सेमिनार, कायशालाओं आदि को आयोजित करने तथा फाऊंडेशन की अनुसंधान सामग्री तथा पुस्तकों के प्रकाशन को देखने का अधिकार होगा।
- (4) कार्यकारी निदेशक फाऊंडेशन द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने और सहायता के लिए विभिन्न एजेंसियों को प्रस्तुत करने के लिए उचित कार्रवाई प्रारम्भ करेगा।
- (5) कार्यकारी निदेशक को फाऊंडेशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ विचार विमर्श करने का अधिकार होगा।

## 9 सम्पत्ति, परिसम्पत्ति और देनदारियां

- (1) फाऊंडेशन की आय और सम्पत्ति से जो भी उपार्जित हो उसका केवल उक्त निर्धारित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (2) फाऊंडेशन की आय और सम्पत्ति का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभांश, बोनस अथवा अन्य किसी रूप से या लाभ के माध्यम से उन व्यक्तियों को जो किसी भी समय फाऊंडेशन के सदस्य रहे हैं अथवा उनमें से कोई अथवा उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति को प्रदत्त अथवा अन्तरित नहीं किया जाएगा।
- (3) बशर्ते कि इसमें शामिल कुछ भी किसी सदस्य के पारिश्रमिक के अथवा फाऊंडेशन को दी गई किसी सेवा के बदले में अथवा जैसा कि परिचालन नियमावली में अनुबद्ध है किसी प्रशासनिक व्यय के भुगतान को न रोके।

## 10. सरकार की शक्तियां

सरकार समय समय पर फाऊंडेशन की कार्यप्रणाली की पुनरीक्षा करेगी और फाऊंडेशन के मामलों के संबंध में आवश्यक समझे जाए ऐसे निदेश जारी करेगी।

## 11. वित्तीय विनियमन

## क. ट्रस्ट के कोष :

ट्रस्ट के नियम और विनियम के अनुरूप फाऊंडेशन के कार्यों को चलाने के लिए धनराशि के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित होंगे नामतः :

- (क) पर्यटन प्रवेश शुल्क लगाने से प्राप्त आय तथा बाघ रिजर्व में दी जाने वाली सेवाओं के अन्य प्रभाव
- (ख) राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर राष्ट्रीय एजेंसियों से विशिष्ट परियोजनाओं के संदर्भ में अन्य स्रोतों से अंशदान जैसा कि कानून में अनुमत है।
- (ग) किसी व्यक्ति अथवा विदेशी सरकारों तथा अन्य बाह्य एजेंसियों सहित किसी व्यक्ति अथवा संगठनों से प्राप्त सहायता अनुदान, दान और सहायता, जैसा कि कानून द्वारा अनुमत हो।
- (घ) ट्रस्ट के नियमों के अनुरूप कोई अन्य कार्य जो कानून द्वारा अनुमत हो

## (ख) लेखे और लेखा परीक्षा

- (क) फाऊंडेशन, उचित लेखे का रखरखाव करेगा और प्राप्ति और भुगतान, देनदारियों के विवरण आदि को शामिल करते हुए वार्षिक लेखे उस रूप में तैयार करेगा जैसा निर्धारित किया जाए।
- (ख) फाऊंडेशन के लेखे भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा नामिकगत तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित योग्य चार्टर्ड एकाऊंटेंट द्वारा प्रतिवर्ष लेखा परीक्षित किए जाएंगे।
- (ग) लेखा परीक्षित लेखे का इसके उद्देश्य के लिए आयोजित शासी निकाय की वार्षिक बैठक में शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा।
- (घ) फाऊंडेशन के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सामान्य उपबंधों निर्देशों के अधीन होंगे।

## 12. फाऊंडेशन का विघटन

फाऊंडेशन अटल है तथापि किसी ऐसी परिस्थिति में जिसमें फाऊंडेशन को समाप्त अथवा विलयन करने का निर्णय लिया जाता है तो इसके सभी ऋणों और देन पारिदारियों के पूरा हो जाने के बाद जो कोई भी परिसम्पत्ति और सम्पत्ति और इसी तरह का कुछ भी फाऊंडेशन के सदस्यों के बीच भुगतान वितरित नहीं किया जाएगा लेकिन उस तरीके से निपटान किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णीत किया जाए।

## 13. विविध

- (1) जब भी मंत्रालयों, विभागों अथवा उल्लिखित संस्थान और पदनाम की नामावली में कोई भी परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन स्वतः ही फाऊंडेशन के नियमों में शामिल हो जाएंगे।
- (2) फाऊंडेशन के किसी भी कर्मचारी द्वारा फाऊंडेशन अथवा इसकी संपत्ति को कोई हानि अथवा क्षति अथवा फाऊंडेशन के हितों के लिए कुछ हानिकारक करने पर फाऊंडेशन मुकदमा चला सकती है अथवा अभियोजित कर सकती है।

[फा. सं. 15-1/2006-एनटीसीए (भाग V)]

डॉ. राजेश गोपाल, सदस्य-सचिव (एनटीसीए)

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2007

S.O. 1008 (E).—In pursuance of Section 38X of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following guidelines for the purpose of Regulation of Tiger Conservation Foundation, namely:—

## 1. Short title and commencement.—

- (1) These guidelines may be called the National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

## 2. Definitions.— In these guidelines, unless the context otherwise requires —

- (a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
- (b) "Executive Committee" means an executive committee of the Foundation constituted by its trust of deed;
- (c) "Foundation" means the Tiger Conservation Foundation established under section 38X of the Act;
- (d) "Governing Body" means governing body of the Foundation as constituted by its trust of deed;
- (e) "implementing agency" means a tiger reserve notified under section 38V of this Act or a reserve already notified by the State Government under Project Tiger Scheme;
- (f) "Operations Manual" means the administrative code of the Foundation approved by the State Government;
- (g) "Rules of the Foundation" means the approved trust of deed and Operations Manual of the Foundation;
- (h) "staff" means any employee of the Foundation appointed by appropriate authority and shall include consultants, professionals engaged on contract, staff on deputation, daily wage workers, etc.;
- (i) "State Government" means the State Government of the Tiger Reserve State;
- (j) "Tiger Conservation Authority" means the National Tiger Conservation Authority constituted under section 38L of the Act;
- (k) "tiger reserve" means the areas notified as such under section 38V, apart from those already notified by State Governments under Project Tiger Scheme;
- (l) "tiger reserve state" means a state having tiger reserve.



### 3. Constitution of Tiger Reserve Foundation.—

- (1) The State Government shall establish a Tiger Conservation Foundation in each tiger reserve for facilitating and supporting its management for conservation of tiger and biodiversity, apart from taking ecotourism and ecodevelopment initiatives by involving people in such process.
- (2) The Foundation shall be a trust, registered under the relevant rules of the Government.
- (3) The Head Office of the Foundation shall be located at an administratively convenient location in proximity to the tiger reserve.
- (4) The area of operation of the Foundation shall be the tiger reserve and its adjoining landscape, forming the impact zone with possible corridor value for dispersal of wild animals from the tiger reserve.

### 4. Aim and Objectives of the Trust.—

- (1) The aim of the Foundation shall be to facilitate and support the tiger reserve management for conservation of tiger and biodiversity, through multi-stakeholder participation as per approved management plans, and to support similar initiatives in adjoining landscapes, consistent with the national and state legislations.
- (2) For the furtherance of the said objectives, the functions of the Foundation shall be undertaken through the implementing agency and its staff and or sponsored or supported by it or through other institutions, agencies or individuals collaborated by the implementing agency.
- (3) To achieve the above said aim, the Foundation shall have the following objectives, namely:-
  - (a) to facilitate ecological, economic, social and cultural development in the tiger reserve and adjoining landscape;
  - (b) to provide support to safeguard the natural environment in the tiger reserve and relevant places;
  - (c) to facilitate the creation of, and or maintenance of such assets as felt necessary for fulfilling the above said objectives;
  - (d) to solicit technical, financial, social and other support required for the activities of the Foundation for achieving the above said objectives from different sources permitted by law;
  - (e) to support ecotourism, ecodevelopment, research, environmental education, training, management and advisory aspects in the above and related fields to support the implementing agency; and
  - (f) anything incidental or ancillary to the above for furthering the above said objectives.

### 5. Governing Body of the Foundation.—

- (1) The Tiger Reserve State shall have a governing body for giving overall policy guidance and direction to the Tiger Conservation Foundation.
- (2) The Governing Body of the Tiger Conservation Foundation shall consist of the

following members, namely:-

- |        |  |   |                  |
|--------|--|---|------------------|
| (i)    | Minister in-charge of Wildlife in the State Government   | - | President        |
| (ii)   | Principal Secretary or the Secretary, as the case may be, of the Forests Department to that Government     | - | Vice President   |
| (iii)  | Principal Chief Conservator of Forests   | - | Member           |
| (iv)   | Field Director of the Tiger Reserve  | - | Member           |
| (v)    | Deputy Director of the Tiger Reserve   | - | Member           |
| (vi)   | two prominent scientists or qualified experts in the field (to be nominated by that Government)            | - | Members          |
| (vii)  | Member of Legislative Assembly, who represent the concern area in the State Legislative Assembly           | - | Member           |
| (viii) | representative of the District Panchayat having jurisdiction over the Tiger Reserve area                   | - | Member           |
| (ix)   | two members of the Executive Committee of the Foundation (other than the Field Directors/Deputy Directors) | - | Member           |
| (x)    | Chief Wildlife Warden  | - | Member-Secretary |

- (3) A member of the Governing Body shall, upon ceasing to be a Member of Legislative Assembly or, as the case may be, the District Panchayat, cease to be a member of the Governing Body.
- (4) The tenure of nominated member shall be for a period of three years from the date of his nomination.
- (5) The Governing Body shall have the following powers and perform the following functions, namely:-
- (a) make over all policy of the Foundation in consonance with the provisions of the Act;
  - (b) consider and approve the balance sheet and audited accounts of the Foundation;
  - (c) consider and approve the Annual Report of the Foundation;
  - (d) approve the work plan, fund flow, Annual Budget of the Foundation;
  - (e) make amendment in the deed of trust, which may be necessary, subject to the approval of the Government;
  - (f) approve the "Operations Manual" of the Foundation;
  - (g) coordinate between different departments and other institutions and non Governmental organisations to achieve the objectives of the Foundation;
  - (h) frame rules and regulations under the provisions of the trust of deed for managing the affairs of the Foundation;
  - (i) take all policy decisions regarding fund raising, investment and budget of the Foundation;

- (j) suspend, terminate or effect any other procedures on any Project or activity undertaken by the Foundation; and
- (k) perform such other functions as may necessary to achieve the objectives of the trust.
- (6), The meetings of the Governing Body shall be held in the following manner, namely:-
- (i) the meetings of the Governing Body shall be held at least once in a year preferably in the first month of the financial year;
  - (ii) every meeting of the Governing Body shall be called in writing by and under the signature of the Member-Secretary of the Governing Body through a prior notice of fifteen days containing a summary of the business to be transacted in such meeting;
  - (iii) any inadvertent omission to give notice to, or the non-receipt of notice of any meeting by, any member shall not invalidate the proceedings of the meeting;
  - (iv) if the President is not present in the meeting of the Governing Body, the Vice-President shall preside over the meeting;
  - (v) one third of the members of the Governing Body present shall form the quorum of the Governing Body provided that no quorum shall be necessary in respect of any adjourned meeting;
  - (vi) all disputes in a meeting shall be determined by the division of vote;
  - (vii) the member who is unable to attend the Governing Body meeting may send his views on the agenda in writing and such expression of opinion shall be taken to be his vote on the matter concerned; and
  - (viii) the minutes of the proceedings of the meeting shall be recorded and such minutes after approved and signed by the Member Secretary, Governing Body shall be the conclusive proof of the business transacted in the meeting.

#### 6. The Executive Committee.-

- (1) Every Tiger Conservation Foundation shall have an Executive Committee to look after its day-to-day management.
- (2) The affairs of the Foundation shall be administered subject to the rules of the Foundation by the Executive Committee.
- (3) The Executive Committee shall consist of -
  - (a) Field Director of the Tiger Reserve - Chairperson
  - (b) Deputy Director or Assistant Director of the Tiger Reserve - Member
  - (c) two representatives of Ecodevelopment Committees working in the Tiger Reserve, to be nominated in the Governing Body - Member
  - (d) two members of frontline staff of the Tiger Reserve - Member

(the Deputy Director or, as the case may be, the Assistant Director of the tiger reserve shall function as the Secretary of the Executive Committee).

- (4) The tenure of the nominated member shall be for a period of two years from the date of his nomination.
- (5) A member of the Executive Committee, other than nominated members, shall cease to be a member as such, if he ceases to hold that office or post by virtue of which, he became the member of the Committee.
- (6) The Executive Committee shall have the following powers and perform the following functions, namely:-
  - (a) the affairs and funds of the Foundation in accordance with the rules and regulations of the Foundation;
  - (b) make endeavour to achieve the objectives of the Foundation and discharge all its functions;
  - (c) exercise administrative and financial powers including power to engage any person of one description and make appointment thereon in accordance with the rules and regulations of the Foundations;
  - (d) enter into arrangement with other public or private organisations or individuals for furtherance of its objectives and in accordance with the rules and regulations of the Foundation;
  - (e) endowments, grants-in-aid, donations, or gifts to the Foundations not inconsistent with the rules and regulations of the Foundation and interest of the Government;
  - (f) take over or acquire in the name of the Foundation by purchase, gift or otherwise from Government or other public bodies or private individuals or organizations, any movable and immovable property in the state or elsewhere in conformity with the rules and regulations of the Foundation; and
  - (h) perform such other functions as are assigned to it by the Governing Body.

7. Proceedings of the Executive Committee.-

- (1) Every meeting of the Executive Committee shall be presided over by the Chairperson. Provided that in the absence of the Chairperson the Executive Committee shall elect a Chairman to preside over the meeting.
- (2) One-half of the total members of the Executive Committee present in the meeting shall constitute the quorum, provided that no quorum shall be necessary in respect of any adjourned meeting.
- (3) Not less than seven days notice for every meeting of the Executive Committee shall be given to each member of the said Committee, provided that the Chairperson may call an emergency meeting if the situation so warrants.
- (4) Any inadvertent omission to give notice to or the non-receipt of notice of any meeting by any member shall not invalidate the proceedings of the meeting.
- (5) The Executive Committee shall meet as and when necessary but at least once in every month.

- (6) All disputed issues in the Executive Committee meetings shall be determined by vote among members.
- (7) Any member who is unable to attend the Executive Committee meeting may send his views on the agenda in writing and such expression of opinion shall be taken to be his vote on the matter concerned.
- (8) The Executive Committee shall refer any issue for the advice or recommendation to a Sub-Committee constituted by it for the purpose and the Executive Committee shall have the right to override the recommendation or advice given by the Sub-Committee and in doing so, it shall record reasons thereof.
- (9) The Annual General Body Meeting of the Executive Committee shall be conducted every year and the audited accounts of the previous year and the budget for the current year shall be presented, discussed and approved.
- (10) The Minutes of the proceedings of the Executive Committee meetings shall be recorded and such minutes after due approval shall be issued by the Secretary.

#### 8. Office and Authorities of the Executive Committee.-

- (1) The Field Director of the Tiger Reserve shall be the Executive Director of the Foundation and he or she shall carry out all administrative and day-to-day functions of the Foundation on behalf of the Executive Committee and he shall be the custodian of all records, assets and belongings of the Foundation.
- (2) The Executive Director shall have the following powers in conformity with the rules of the Foundation; namely:-
  - (a) to accept contributions on behalf of the Foundation either in cash or in kind from a person or institutions.
  - (b) to purchase, acquire, take on lease any movable and immovable property for the purpose of achieving the objectives of the Foundation.
  - (c) to have control and authority on the general administration of the Foundation.
  - (d) to open and operate accounts with banks.
  - (e) to prosecute, sue and defend all actions at law for and on behalf of the Foundation.
- (3) The Executive Director shall have powers to convene seminars, workshops, etc., and to oversee publications of research materials and books of the Foundation.
- (4) The Executive Director shall initiate appropriate actions for the preparation and submission of project proposals on different programmes to be undertaken by the Foundation to various agencies for support.
- (5) The Executive Director shall have powers to interact with National and International Agencies for furthering the objectives of the Foundation.

### 9. Property, Assets and Liabilities.-

- (1) The income and property of the Foundation, howsoever derived, shall be applied solely towards the promotion of the objectives thereof as set-forth above.
- (2) No portion of the income and property of the Foundation shall be paid or transferred directly or indirectly, by way of dividend, bonus or otherwise, howsoever, by way of profit, to the persons who at any point of time have been members of the Foundation or to any of them or to any person claiming through them.
- (3) Provided that nothing herein contained shall prevent the payment of remuneration to any member or any person in return of any service rendered to the Foundation or for any administrative expenses as stipulated in the Operations Manual.

### 10. Powers of the Government.-

The Government may time to time review the functioning of the Foundation and issue such directions as it may consider necessary in respect of the affairs of the Foundation.

### 11. Financial Regulations.-

#### A. Funds of the Trust:

The following shall be the various sources of funds for running the affairs of the Foundation in conformity with the rules and regulations of the trust, namely:-

- (a) the income generated from levying tourist entry fees and other charges for the services generated out of the Tiger Reserve;
- (b) contribution from other sources in terms of specific projects from national as well as international agencies as permitted by law;
- (c) grant-in-aids, donation or assistance of any kind from any individuals or organizations including foreign Governments and other external agencies as permitted by law; and
- (d) any other activity as permitted by law and in conformity with the rules of the trust.

#### B. Accounts and Audit:

- (a) the Foundation shall maintain proper accounts and prepare annual accounts comprising of the receipts and payments, statement of liabilities, etc., in such form as may be determined;
- (b) the accounts of the Foundation shall be audited annually by the qualified Chartered Accountant, empanelled by the Comptroller Auditor-General of India, approved by the Governing Body;
- (c) the audited accounts shall be discussed and approved by the Governing Body in its annual meeting held for the purpose; and
- (d) the accounts of the Foundation shall be subjected to the general provisions and directives of the Comptroller and Auditor-General of India.

### 12. Dissolution of the Foundation.-

The Foundation is irrevocable, however, in the event of any circumstance in which it is decided to terminate or dissolve the Foundation, after the satisfaction of all its debts and liabilities, any assets and property, whatsoever be the same, shall not be paid to or distributed among the members of the Foundation but shall be dealt with in such manner as the State Government may determine in that behalf.

## 13, Miscellaneous.-

- (1) As and when there is any change in the nomenclature of Ministries, Departments, or institution and designation mentioned, such changes shall automatically stand incorporated in the rules of the Foundation.
- (2) Every staff of the Foundation may be sued or prosecuted by the Foundation for any loss or damage caused to the Foundation or its property or for anything done by him detrimental to the interests of the Foundation.

[F.No. 15-1/2006-NTCA (Part-V)]

Dr. RAJESH GOPAL, Member-Secy. (NTCA)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2007

का.आ. 1009 (अ)—केन्द्रीय सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38 क्यू की उप-धारा (2) के अनुपालन में बाघ संरक्षण प्राधिकरण निधि का गठन करती है और इसके विनियमन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाती है नामतः :-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन दिशा-निर्देशों को बाघ संरक्षण प्राधिकरण निधि (विनियमन) दिशानिर्देश, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन दिशानिर्देशों में जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, :-

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय है वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53)

(ख) "अध्यक्ष" का अभिप्राय है (क) धारा 38 एल की उप धारा (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष

(ग) "निधि" का अभिप्राय धारा 38 क्यू की उपधारा (2) के अंतर्गत गठित बाघ संरक्षण प्राधिकरण निधि

(घ) "कार्यान्वयन एजेंसी" का अभिप्राय है इस अधिनियम की धारा 38V के अंतर्गत अधिसूचित बाघ रिजर्व अथवा बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अधिसूचित रिजर्व।

(ङ.) "सदस्य सचिव" का अभिप्राय है धारा 38 एल की उपधारा (2) के खण्ड (0) के अंतर्गत नियुक्त बाघ संरक्षण प्राधिकरण का सदस्य सचिव

(च) "धारा" का अभिप्राय है अधिनियम की धारा

(छ) "बाघ संरक्षण प्राधिकरण" का अभिप्राय है धारा 38 एल के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण।

(ज) "बाघ संरक्षण फाउण्डेशन" का अभिप्राय है धारा 38 एल के अंतर्गत स्थापित बाघ संरक्षण फाउण्डेशन।

(झ) "बाघ रिजर्व" का अभिप्राय है बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही अधिसूचित सहित धारा 38V के अंतर्गत अधिसूचित ऐसे क्षेत्र हैं।

(ञ) "बाघ रिजर्व राज्य" का अभिप्राय है वह राज्य जिसमें बाघ रिजर्व है।